इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018—भाद्र 23, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र. ई-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, विकअ-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 29 अगस्त 2018 से 1 सितम्बर 2018 तक, तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे, सचिव, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, द्वारा विकअ-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार गृहण करने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018

क्र. ई-5-765-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे (1996) को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2018 द्वारा दिनांक 14 मई से 31 अगस्त 2018 तक, एक सौ दस दिन तक स्वीकृत चाईल्ड केयर अवकाश के अनुक्रम में, अब, उन्हें दिनांक 1 से 14 सितम्बर 2018 तक, चौदह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे (1996) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे (1996) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे., आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 एवं 8, 9 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का प्रभार श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं.

(5) अवकाशकाल में श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-824-आयएएस-लीव-5.—(1) श्री धनंजय सिंह भदौरिया, आयएएस., उपसचिव, सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग को दिनांक 27 से 28 अगस्त 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय सिंह भदौरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-915-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री नेहा मारव्या सिंह, आयएएस., उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20 अगस्त 2018 से 15 फरवरी 2019 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-961-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मयंक अग्रवाल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-980-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इंदौर को दिनांक 27 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 सितम्बर, 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2018

क्र. ई-1-227-2018-5-एक.—श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-228-2018-5-एक.—श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-05-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये निम्नलिखित भाप्रसे, अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 निश्चित वेतन (पे मेट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. एम. मोहन राव (1987) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
2	श्रीमती गौरी सिंह (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2018 द्वारा दिनांक 16 से 21 अगस्त 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 16 से 20 अगस्त 2018 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2018

क्र. ई-5-764-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 17 अप्रैल 2018 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए) 59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक कुमार गोयल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध ग्वालियर को दिनांक 27 अगस्त से 1 सितम्बर 2018 तक छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 अगस्त व दिनांक 2-3 सितम्बर 2018 को विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करता है.

(2) श्री अशोक कुमार गोयल, भापुसे, का चालू कार्य श्री संजय कुमार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक गोयल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 148-95-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भा. पु. से., पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल को 12 से 14 सितम्बर 2018 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 सितम्बर, 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3665-3806-21-ब (दो)-2018.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के (1) एवं नियम 8(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन संचालन हेतु श्री अनुपम पाठक, जिला अभियोजन अधिकारी, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्र. एफ-11-02-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-02-2018-तीस, दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्थानीय क्षेत्र का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. मे.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	जनपद कार्यालय के पास पन्ना.	मिर्जा राजा का मकबरा पन्ना.	ख. नं. 2439 जु. 1	0.044	शासन	नहीं	80×60 फुट

क्र. एफ-11-06-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-06-2018-तीस, दिनांक 20 अप्रैल 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. मे.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	छत्रपाल पार्क के अन्दर	छत्रसाल पार्क स्थित मकबरा क्रमांक 01.	ख. नं. 3234/9	0.071	शासन	नहीं	100×77
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	छत्रपाल पार्क के अन्दर पन्ना.	छत्रसाल पार्क स्थित मकबरा क्रमांक 02.	ख. नं. 3234/9	0.050	शासन	नहीं	77×71

क्र. एफ-11-07-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-07-2018-तीस, दिनांक 9 मई 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है.	क्षेत्रफल (हे. मे.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	सागर	मालथौन	अटाकर्नेलगढ़	अटा का किला.	ख. नं. 933	0.033	शासकीय	नहीं

क्र. एफ-11-20-2017-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-20-2017-तीस, दिनांक 3 जनवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	सीहोर	जावर	देवबडला बीलपान	प्राचीन मंदिर समूह देवबडला.	RF 88 VII	200×200	वन विभाग	धार्मिक पूजा के अधीन है.

क्र. एफ-11-22-2017-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-22-2017-तीस, दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	शिवपुरी	शिवपुरी	ग्राम बिलोकलां	शिव मंदिर प्राचीन मठ.	सर्वे नं. 575	0.03 हे.	पुजारी जी मोहनलाल शर्मा पुत्र कमरलाल.	नहीं.

क्र. एफ-11-23-2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-23-2013-तीस, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	राजगढ़	सारंगपुर	अकोदिया रोड पुरानी शकर मिल के पास.	पीर मासूम का मकबरा.	सर्वे नं. 2922	रकवा क्षेत्र 0.061 हे.	आबादी म. प्र. शासन.	नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्र. एफ 16-18-2018-ए-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा देश के बदलते आर्थिक परिदृश्य एवं निवेशकों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति-2014 में निम्नानुसार संशोधन/नवीन प्रावधान सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया:—

1. बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के निरसित होने के फलस्वरूप उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का "विशेष पैकेज 2014" एवं राज्य में स्थित बीमार बीमार औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का 'पालिसी पैकेज 2014' में प्रावधानित सुविधाओं के अन्तर्गत वृहद उद्योगों के संदर्भ में उद्धत सुविधाओं को विलोपित किया जाकर वृहद श्रेणी की बंद औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुर्नसंचालित करने पर संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाता है.

2. **उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2017) की कण्डिका 16**—वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता की कंडिका 16.1 में निम्नानुसार भौगोलिक गणक को सम्मिलित करते हुए नवीन कंडिका 16.1.5 निम्नानुसार स्थापित की जाती है:—

16.1.5 **भौगोलिक गणक**—प्रदेश में स्थित जिलों के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को भौगोलिक गणक '1.2' तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा. परन्तु उपरोक्त गणक सीमेंट परियोजनाओं के लिए '1' ही मान्य किया जावेगा. सीमेंट परियोजनाओं के लिए निर्यात गणक भी '1' मान्य किया जावेगा.

3. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अन्तर्गत अपात्र उद्योगों की सूची परिशिष्ट IV के सरल क्रमांक 14 "सीमेन्ट (क्लिंकर सहित) विनिर्माण" को विलोपित किया जाता है एवं सरल क्रमांक 6 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है:—

क्रमांक 6—"केन्द्र तथा राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को नीति अंतर्गत सुविधायें देने हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद् समिति द्वारा प्रकरणवार विचार किया जा सकेगा."

4. **उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017)** में नवीन अनुक्रमांक 19 "निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्तीय सहायता" सम्मिलित करते हुए निम्न प्रावधान जोड़ा जावे:—

19.1. **निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्तीय सहायता.**—ऐसे उद्योग जिनमें कुल रोजगार का न्यूनतम 5% नियोजन दिव्यांगजनों को किया जावेगा उन्हें निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी:—

19.1.1 **स्किल डेव्हलपमेन्ट.**—ऐसे उदयोगों में दिव्यांगजनों को शासकीय औद्योगिक प्रक्षिक्षण संस्था में प्रशिक्षित कराने पर हुए व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति.

19.1.2 **कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं ईएसआई अन्तर्गत सहायता.**—दिव्यांगजन कर्मचारियों हेतु नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी अधिकतम रुपये 6 हजार प्रतिमाह अथवा वास्तविक जमा अंश राशि दोनों में से जो कम हो की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष हेतु.

19.1.3 ऐसे दिव्यांगजन कर्मचारी जो आयुष्मान भारत योजना 2018 अन्तर्गत नि:शुल्क बीमा की पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे दिव्यांगजन कर्मचारी का बीमा कराने पर देय प्रीमियम की प्रतिपूर्ति.

19.1.4 ऐसे उद्योग जिन्होंने भारत सरकार की किसी योजना अन्तर्गत उपरोक्त आशय की सहायता प्राप्त की है तो देय सहायता में से उक्त सहायता घटायी जावेगी.

5. **उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017)** की कण्डिका-10 वित्तीय सहायता में नवीन कंडिका क्रमांक 10.1.4 को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:—

"किसी भी स्थिति में इकाई को दी जाने वाली सकल निवेश सहायता, इकाई में किये गये पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी अर्थात् समस्त सहायता मदों जिसमें अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सहायता सम्मिलित

कर कुल सहायता की अधिकतम सीमा/परिमाण इकाई द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी.''

6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रमांक 10.1 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे:—

''इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिये लागू है, परन्तु रु. 50 करोड़ (भूमि के मूल्य को छोड़कर) से अधिक की ऐसी पर्यटन परियोजनायें जो नगरपालिका निगम की सीमा के बाहर स्थापित हों उन्हें इस नीति में उल्लेखित सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि पर्यटन परियोजनाओं को राज्य शासन की किसी एक नीति अंतर्गत ही लाभ लेने की पात्रता होगी. अर्थात् जो परियोजनाएं उद्योग नीति के अन्तर्गत लाभ लेना चाहती है उन्हें पर्यटन सहित राज्य की किसी अन्य नीति अन्तर्गत लाभ की पात्रता नहीं होगी. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सहायता पर्यटन विभाग द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी तथा इस आशय तक यह प्रावधान पर्यटन नीति का अंश माना जावेगा. अन्य सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिये पृथक् प्रोत्साहन/रियायतें लागू होंगी जो संबंधित विभागों की प्रचलित नीति के अनुसार होंगी.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट ''अ''

वृहद श्रेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुर्नसंचालित करने पर विशेष पैकेज

1. **विशेष पैकेज की प्रभावशीलता**—इस विशेष पैकेज का लाभ केवल ऐसी परियोजनाओं को देय होगा जो उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) अथवा इसके बाद लागू होने वाली नीतियों से अधिशासित हो.

2. **बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरान्त पुर्नसंचालित करने पर पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतीकरण की सुविधा का लाभ**—पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतरीकरण की सुविधा का लाभ इकाई में एक वर्ष से अधिक उत्पादन निरुद्ध होने की स्थिति में ही प्रदान किया जावेगा एवं उत्पादन निरुद्ध रहने की अवधि के समतुल्य अवधि के समतुल्य अवधि को सुविधा के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पात्रता अवधि के रूप से प्रदान किया जावेगा.

3. **बकाया देयकों के भुगतान की सुविधा**—इकाई के बंद होने के दिनांक तक संबंधित विभागों/संस्थाओं के बकाया देयकों को अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में एकमुश्त जमा कराने पर, ब्याज/शास्ति की माफी अन्यथा बकाया राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को 6 अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी.

4. **नवीन इकाई की भांति सुविधा का लाभ**—प्लांट एवं मशीनरी में नवीन पूंजी निवेश, पूर्व पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत या रु. 50 करोड़ (इनमें से जो भी कम हो) होने पर प्रचलित नीति अन्तर्गत नवीन इकाई के समान सुविधा का लाभ दिया जायेगा.

5. **मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा**—प्लांट एवं मशीनरी में रु. 100 करोड़ से अधिक के नवीन पूंजी निवेश किया जाता है तो इकाई को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जावेगा एवं कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद् समिति के समक्ष आवेदन की पात्रता होगी.

6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अन्तर्गत उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिये प्रावधानित इस विशेष पैकेज की सुविधा लागू नहीं होगी.

मंदा राठौर, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2018

क्र. एफ-44-21-18-बीस-2.—राज्य सरकार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RAA) की गतिविधियों के राज्य में सुचारु संचालन हेतु राज्य स्तरीय स्टेरियरिंग समिति का गठन करती है. जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे:—

स. क्र.	शासकीय पदेन अधिकारी/नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	प्रमुख सचिव, स्कलू शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2	आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय	सदस्य
3	आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य

(1)	(2)	(3)
4	आयुक्त, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
5	संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र	सदस्य सचिव
6	सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.	सदस्य
7	निदेशक राज्य ऑचलिक विज्ञान केन्द्र, भोपाल.	सदस्य
8	नोडल अधिकारी, RAA-MANIT भोपाल.	सदस्य
9	नोडल अधिकारी, RAA-IISER भोपाल.	सदस्य
10	नोडल अधिकारी, RAA-IIT इन्दौर.	सदस्य
11	महानिदेशक म. प्र. काउंसिल ऑफ साईंस एण्ड टेक्नालॉजी भोपाल.	सदस्य
12	श्री अविनीश त्रिपाठी नोडल अधिकारी RAA-TSG नई दिल्ली.	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार सिंह, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्र. एफ-5-16-2017-चौवन-2.—एतद्द्वारा, राज्य शासन, द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2013) की धारा 83 (1) की शक्तियों का उपयोग करते हुए वक्फ अधिकरण का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है. क्रमांक एफ-5-16-2017-चौवन-2-83 वक्फ अधिकरण की स्थापना में अधिकरण द्वारा वक्फों के विवाद, प्रश्न या वक्फों के अन्य किसी भी विषयों से संबंधित विवादों के निपटारे, किरायेदारों की बेदखली, अतिक्रमणकारियों की बेदखली अथवा भू-स्वामीया किरायेदार के अधिकार, उत्तरदायित्व, वक्फ संपत्ति की स्वत्व घोषणा, उसके संरक्षण आदि का निर्धारण का अधिकार वक्फ अधिकरण को तथा धारा 85 के प्रावधानुसार वक्फ के मामलों में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वर्जन का निर्धारण करती है.

एतद्द्वारा राज्य शासन द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2013) की शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 83 (1) को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

No. F-5-16--2017-LIV-2-83.—Constitution of Tribunals, etc-[(1) The State Government shall, by notification in the official Gazette, constitue as many Tribunals as it may think fit, for the determination of any dispuet, question or other matter relating to a waqf property, eviction of a tenant or determination of rights and obligations of the lessor and the lessee of such property, under this Act and define the local limits and jurisdiction of such Tribunals]

क्र. एफ-5-16-2017-चौवन-2-83.—अधिकरणों का गठन—(1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा उतने अभिकरण गठित किये जायेंगे जितने की वह उचित समझें, जो इस अधिनियम अन्तर्गत वक्फ या वक्फ संपत्ति के किरायेदार के निष्कासन या पट्टादाता एवं पट्टेदार के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का विनिश्चयन एवं स्थानीय सीमाओं को परिभाषित एवं ऐसे अभिकरणों के क्षेत्राधिकार विनिश्चय कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्र. एफ-03-15-2009-तीन-जेल.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-03-15-2009-तीन-जेल, दिनांक 15 सितम्बर 2014 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954 एवं तदाधीन निर्मित नियम, 1964 के नियम 6 के उपनियम (5) के अन्तर्गत राज्य परिवीक्षा मण्डल का पुनर्गठन कर श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत पुत्र श्री एम.एल. राजपूत (एडवोकेट) निवासी-37, जैन धर्मशाला रोड शंकराचार्य नगर स्टेशन बजरिया, भोपाल को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय सदस्य नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर 2018

क्र. एफ 1-8-17-रा.स.-यू.ए.1-1456.—मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2017 को अधिसूचना क्रमांक एफ 52-1-2017-अड़तीस-3 जारी कर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2015 (क्र. 02 सन् 2016) की धारा 44 के प्रावधान प्रभावशील किए गए हैं. राज्य शासन के परामर्श पर अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को आगामी आदेश तक के लिए अपने दायित्वों के साथ-साथ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया था. विश्वविद्यालय में धारा 44 के प्रावधान दिनांक 17 सितम्बर 2018 तक प्रभावशील रहेंगे.

2. उच्च शिक्षा विभाग में अब अपर मुख्य सचिव पदस्थ नहीं हैं. उनके स्थान पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है.

3. अतः, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर को नियमित कुलपति की नियुक्त होने तक प्रो. सी. डी. नायक, प्रोफेसर, डॉ. अम्बेडकर विचार एवं दर्शन, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करेंगे.

आनन्दी बेन पटेल, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 9 अगस्त 2018

क्र. 286-5अ-एस.सी.-2-2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा शासकीय उ. मा. विद्यालय, बिहटा का नामकरण "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री रघुबर शरण सिंह शासकीय उ. मा. विद्यालय बिहटा" किये जाने का आदेश दिया जाता है.

मुकेश शुक्ल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 395-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि ग्राम डिलौरा, तहसील रघुराजनगर की आराजी क्रमांक 844/3, रकबा 0.098 हे. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स के प्रस्तावानुसार सतना-मैहर बायपास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई थी, वर्तमान में सड़क का निर्माण किया जा चुका है. उक्त आराजी सड़क निर्माण क्षेत्र में प्रभावित न होने से मूल भूमि स्वामी को वापस किया जाना है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जनीय रकवा (हे. में)	लगभग अर्जित रकबा
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नं.	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	डिलौरा	844/3	0.098

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 20 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 403-भू-अर्जन.—उप मुख्य अभियंता (निर्माण) प. म. रेल्वे, जबलपुर द्वारा सतना रीवा बड़ी रेलवे लाईन (50 कि.मी.) का दोहरीकरण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:—

ग्राम का नाम (1)	तहसील का नाम (2)	अर्जित रकवा (हे. में) (3)
बिरहुली	रघुराजनगर	2.456
सकरिया	रघुराजनगर	1.308
खारी	रामपुर बाघेलान	0.924
हिनौता पैपखार	रामपुर बाघेलान	1.014
बठिया	रामपुर बाघेलान	0.600
मनकहरी	रामपुर बाघेलान	1.253
सतरी कोठार	रामपुर बाघेलान	0.422
बम्हौरी	रामपुर बाघेलान	1.084

उपरोक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्तावों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन, स्थानीय समाचार-पत्रों में से जनसंदेश सतना में दिनांक 02 अप्रैल 2017 तथा मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) में 14 अप्रैल 2017 को प्रकाशन कराया जाकर उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर को युक्त-युक्त सर्वेक्षण तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित करने हेतु अधिकृत किया गया था.

प्रकरण में सहा. कार्यकारी इंजीनियर (नि.) प. म. रेल सतना द्वारा समय विस्तारित करते हुए धारा 19 के प्रकाशन हेतु अपने पत्र क्रमांक एएक्सईएन/सी/एसआरडी/एलए, दिनांक 19 जुलाई 2018 द्वारा अनुरोध किया गया कि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक में समुचित सरकार को बारह मास की अवधि को बढ़ाने की शक्तियां निहित है.

अत: अर्जित निकाय के अनुरोध पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के तहत अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्र. 2053-2003-2018-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	आरक्षित (महिला) सदस्य (3)	(अनारक्षित) सदस्य (4)
1	मुरैना	श्रीमती डॉ. नीरज गुप्ता	श्री राकेश शिवहरे
2	डिण्डौरी	—	श्री लल्ला यादव
3	शिवपुरी	श्रीमती प्रतिभा पाण्डे	श्री रामभजन राठैर
4	खण्डवा	श्रीमती श्वेता जैन	—
5	बालाघाट	श्रीमती नमिता चिले	डॉ. नीरज अरोरा
6	दमोह	—	श्री सुधीर जैन विद्यार्थी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ.1–4/2018/सात/शा. 6 ––––– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चांद तथा तहसील चौरई की सीमाएं, उसमें से, छिन्दवाड़ा जिले की विद्यमान तहसील चांद के 27 ग्रामों– 1.पाल्हरी, 2.बांकानागनपुर, 3.पालादौन, 4.खुटपिपरिया, 5.मोहगांवकलां, 6. बरेलीपारमाल, 7.तेंदनी, 8.बरेलीपाररैयत, 9.मोरखा, 10.सीदप, 11.औरिया, 12.सीताझिर, 13. ग्रेठियाविस्साला, 14.हिर्री, 15.ग्रेठियादवामी, 16.सांख, 17.करलई, 18.देवरीमाल, 19.देवरीरैयत, 20. कुकरई, 21.ढुटमररैयत, 22.आमाझिरी, 23.ढुटरमाल, 24.राजलवाडी, 25.खुटिया, 26.झिरिया एवं 27.केरिया को अपवर्जित करते हुए तथा उसे चौरई तहसील में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

पृ. क्रमांक एफ–1–4–2018–सात–शा–6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–1–4–2018–सात–शा–6, दिनांक 10 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 10th September 2018

No. F 1-4/2018/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tahsil Chand and Chorai of Chhindwara District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the Village's 27- 1.Palhari, 2.Bankanaganpur, 3.Paladaun, 4.Khutpipriya, 5.Mohgaonklan, 6.Bareliparmal, 7.Tendni, 8.Bareliparraiyat, 9.Morkha, 10.Seedap, 11.Auriya, 12.Sitajhir, 13.Grethyavissala, 14.Hirri, 15. Grethyadvami, 16.Sankh, 17.Karlai, 18.Devrimal, 19.Devrirraiyat, 20.Kukrai, 21.Dhutamrraiyat, 22.Aamajhiri, 23.Dhutarmal, 24.Rajalwari, 25.Khutiya, 26.Jhiria and 27.Karia of the present Tahsil Chand and comprising it into Chorai Tahsil and by excluding of Chhindwara District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

सूचना

क्रमांक एफ-1-06/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन देवास जिले में नवीन तहसील "भौंरासा" सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील सोनकच्छ एवं तहसील टोंकखुर्द जिला देवास की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/ मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

क्र	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	भौंरासा	भौंरासा	सोनकच्छ	नवीन प्रस्तावित तहसील भौंरासा में वर्तमान तहसील सोनकच्छ के 13 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्र. 39 से 51 तक) के 31 ग्राम एवं वर्तमान तहसील टोंकखुर्द के 05 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्र. 28, 29, 31, 32 एवं 35) के 09 ग्राम, इस प्रकार कुल 18 पटवारी हल्के के 40 ग्राम, अपवर्जित होकर नवीन तहसील भौंरासा में सम्मिलित होंगे।	पूर्व में - तहसील सोनकच्छ पश्चिम में - तहसील देवास उत्तर में - तहसील टोंकखुर्द दक्षिण में - तहसील हाटपीपल्या
2	शेष तहसील सोनकच्छ	सोनकच्छ	सोनकच्छ	शेष तहसील सोनकच्छ में 56 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 38 एवं 52 से 69 तक) के 105 ग्राम होंगे।	पूर्व में - तहसील जावर जिला सीहोर पश्चिम में - प्रस्तावित तहसील भौंरासा उत्तर में - तहसील टोंकखुर्द जिला देवास एवं जिला शाजापुर दक्षिण में- तहसील हाटपीपल्या
3	शेष तहसील टोंकखुर्द	टोंकखुर्द	टोंकखुर्द	शेष तहसील टोंकखुर्द में 55 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 27, 30, 33, 34 एवं 36 से 60 तक) के 105 ग्राम होंगे।	पूर्व में- तहसील सोनकच्छ पश्चिम में- तहसील देवास उत्तर में - जिला शाजापुर दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील भौंरासा

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18 नरसिंहपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2018

प्ररूप V

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम रतनपुरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 5.610 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 5.610 हेक्टेयर है ग्राम रतनपुरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम – रतनपुरा तह0 गाडरवारा

क्र. सं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	कौशल्या वाई पत्नि हरकिशन लुहार निवासी बरांझ	57/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.531
		57/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.639
		57/6	भूमि स्वामी	सिंचित	0.484
		58/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.375
2	राममनोहर वल्द बद्रीप्रसाद ब्रा0 सा0 मनकवारा	58/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.224
3	मनोज कुमार वल्द सुदामा प्रसाद कौरव निवासी बरांझ	58/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.291
		61/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.016
4	अशोक कुमार वल्द बद्रीपसाद ब्रा0 सा0 मनकवारा	59	भूमि स्वामी	सिंचित	0.121
		61/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.012
5	नन्ही वाई जोजे बद्रीप्रसाद ब्रा0 सा0 मनकवारा	62/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.647
		61/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.101
		61/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.405
6	राहुल वल्द मनोहर ब्राम्हण	46	भूमि स्वामी	सिंचित	0.073
		47	भूमि स्वामी	सिंचित	
7	हरगोविंद वल्द सोबरन सिंह ब्रा0 मनकवारा व अन्य	62/3/1 से 62/3/27 तक	भूमि स्वामी	सिंचित	0.162
8	ज्ञानवाई पुत्री सोबरनसिंह ब्रा. सा0 मनकवारा	62/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.008
9	मुन्नीवाई पुत्री सोबरन सिंह ब्रा0 सा0 मनकवारा	62/7-8	भूमि स्वामी	सिंचित	0.012
10	सालकराम वल्द सोबरन सिंह ब्राम्हण सा0 मनकवारा	62/2/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.012

11.	राजकुमार वल्द सोबरन सिंह ब्रा0 सा0 मनकवारा	62/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.012
12	हरगोविंद वल्द सोबरन सिंह ब्रा0 मनकवारा व अन्य	62/6/1 से 62/6/52 तक	भूमि स्वामी	सिंचित	0.383
13	शुभम उर्फ राजदीप , सत्यम पिस0 संतोष कौरव सा0 मनकवारा	70/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.352
14	संतोष कुमार वल्द रामनाथ कौरव मनकवारा	70/3	भूमि स्वामी	सिंचित	
15	कल्पना पति संतोष कौरव सा0 मनकवारा	70/4	भूमि स्वामी	सिंचित	
		70/5	भूमि स्वामी	सिंचित	
16	रवीन्द्र वल्द विजय सिंह कौरव निवासी बरांझ	70/6	भूमि स्वामी	सिंचित	0.377
17	प्रशांत कुमार वल्द विजय सिंह कौरव सा0 मनकवारा	71/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.065
		71/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.308
	कुल				5.610

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू– अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्‌भूत नही होता है।
3. चूंकि कासिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्र. क्र. 2-अ-82-2017-18

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम बरांझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 9.233 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 9.329 हेक्टेयर है ग्राम बसंझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम – बरांझ तह0 गाडरवारा प.ह.नं. 133

क्र. सं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे0 में)
1	जितेन्द्र कुमार आ0 रामजी प्रसाद कौरव सा0 देह	148/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.420
2	भवानी प्रसाद वल्द रमेश चंद्र विश्वकर्मा सा0 बोहानी	148/1/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
3	नरेन्द्र सिंह वल्द लाल कुंअर कौरव सा0 देह	148/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.101
4	इन्दर सिंह वल्द मालक सिंह कौरव	148/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.101
5	रामनाथ सिंह वल्द प्रहलाद सिंह कौरव सा0 देह	148/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
6	राकेश प्रसाद वल्द सेठलाल कौरव सा. देह	148/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
7	सौरभ वल्द महेन्द सिंह कौरव	149/1/1, 150/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.591
8	सुप्रिया पत्नि सीतल कौरव निवासी टेकापार	149/1/2	भूमि स्वामी	सिंचित	
9	सत्यनारायण वल्द हल्के कौरव	224/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.284
10	सोबरन सिंह वल्द हरप्रसाद कौरव सा0 देह	224/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.155
		225/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.032
		226/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.458
		227/3-6-7-8	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
		202/4-5-6-7	भूमि स्वामी	सिंचित	0.008
11	ममता बाई पत्नि सोबरन सिंह कौरव	224/8	भूमि स्वामी	सिंचित	0.133
12	वृंदावन आ0 गंगाराम कौरव सा0 विजनपुर	226/1/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049
13	सिंचाई विभाग नलकूप की नाली	224/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.004
14	रमेश वल्द हरप्रसाद सा0 देह	226/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.008
15	ओंकार उर्फ रामजी वल्द कोमल सिंह कौरव सा0 देह	227/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.154

16	अतर सिंह आ0 गुन्चीलाल सुमनवाई पत्नि अतर सिंह पारधी सा0 देह	227/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.154
17	सत्तावाई पत्नि गोविंद पारधी सा0 देह	201/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.243
18	देवकी नंदन वल्द तेज सिंह कौरव सा0 मेहराखेडा	201/2 201/5	भूमि स्वामी	सिंचित	0.441
19	अम्मा वाई पत्नि श्यामलाल पारधी सा0 देह	201/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.292
20	सुमन वाई पत्नि अतर सिंह पारधी सा0 देह	201/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.202
21	रवीन्द्र सिंह वल्द पीताम्बर कौरव सा0 देह	230/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.284
22	गम्मीर सिंह वल्द शीतल प्रसाद कौरव सा0 देह	232 235	भूमि स्वामी	सिंचित	0.271 0.797
23	अशोक वल्द श्यामलाल कौरव सा0 देह	236/1 236/2 241	भूमि स्वामी	सिंचित	0.466 0.522 0.182
24	बैजनाथ वल्द गजराज सिंह कौरव सा0 देह	242 240	भूमि स्वामी भूमि स्वामी	सिंचित सिंचित	0.348 0.041
25	जगमोहन संजीत पिंसा0 भाईजी कौरव सा0 देह	243/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.753
26	पवन कुमार वल्द बाबूलाल कौरव सरोज वाई पत्नि पवन कुमार कौरव	243/2, 243/3 244/1 244/3	भूमि स्वामी	सिंचित	0.729
27	आशीष कुमार वल्द अनिल कुमार कौरव	244/5 244/2 246/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.049 0.162 0.299
28	परषोत्तम वल्द हरप्रसाद कौरव	244/4	भूमि स्वामी	सिंचित	0.304
	कुल				9.233

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू– अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।

3. चूंकि कासिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।

5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-2017-18

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कासिंग स्टेशन निर्माण ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 1.226 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 1.226 हेक्टेयर है ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम -- मनकवारा तह0 गाडरवारा, प.ह.नं. 132

क्र.सं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	ओंकार प्रसाद वल्द हरिशंकर किरार सा0 देह	25/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.358
2	जगदीश प्रसाद वल्द हरिशंकर किरार सा0 देह	25/1/2	भूमि स्वामी	सिंचित	0.358
3	बाबूलाल वल्द जीवन लाल किरार सा0 देह	26/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.510
	कुल				1.226

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।

3. चूंकि कासिंग स्टेशन निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।

5. जिला भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अगस्त 2018

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 397-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग			
			आराजी नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	मझगवां	पिण्डरा	2043/1	0.049	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	कुरी बांध 2 के नहर निर्माण हेतु.
			2045	0.036		
			3590/1क	0.227		
			2034/2क	0.023		
			2034/2ब	0.019		
			2035	0.013		
			2015	0.009		
			2016	0.052		
			1992	0.013		
			2012	0.005		
			3568	0.077		
			2010/2	0.050		
			2010/3	0.011		
			2006	0.041		
			2007	0.013		
			2005	0.042		
			कुल योग . .	0.680		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-17-18-पत्र क्र. 404-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके